संख्या:33/2020/1720/46-1-20-1000(12)/2020

प्रेषक,

बच्चू लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी,
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहॉपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, बलरामपुर, बहराइच तथा बस्ती।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ :दिनांक 10 दिसम्बर, 2020

विषयः- अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 (एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उ.प्र. के पत्र संख्या-835/सी/12-निर्माण:अ.ग्रा., दिनांक 02-11-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण हेतु निर्धारित फंडिगं पैर्टन 80:20 के अनुसार 80 प्रतिशत राज्यांश के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित की धनराशि रू. 375.00 लाख (रूपये तीन करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) के सापेक्ष जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहॉपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, बलरामपुर, बहराइच तथा बस्ती के कुल 19 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराने हेतु संलग्नक में उनके सम्मुख कालम-6 में अंकित कुल लागत **रू. 471.242 लाख (रूपये चार करोड़ इकहत्तर लाख चौबीस हजार दो सौ मात्र)** प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए एवं तालिका के कालम-7 के अनुसार देय कुल राज्यांश की धनराशि रू. **375.00 लाख (रूपये तीन करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)** अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) परिषद अंश की धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही जनपद विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में धनराशि का प्राविधान/आवंटन किया जा रहा है।

(2) जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा राज्यांश का भुगतान तभी किया जायेगा जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

(3) कार्य की विशिष्टियॉ मानक व गुणवत्ता के साथ कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की होगी। निहित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रयोजन से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर-1 के अनुसार शासकीय अंशदान के सापेक्ष जिला अनुश्रवण समिति के अतिरिक्त कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(4) समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था, अभियंत्रण शाखा कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. होगी। समस्त कार्य निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में सम्पादित कराये जायेंगे। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिटियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचलन स्वीकृत मूल आगणन में 5 प्रतिशत की सीमा तक अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा तैयार विचलन जिला गन्ना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तथा 5 प्रतिशत से अधिक के विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति पर मुख्य अभियन्ता के द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि प्रस्तावित कार्योंके विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु बजटीय प्राविधान संबंधित जनपद के अन्तर्गत उपलब्ध है।

(5) सेंटेज चार्जेज की धनराशि शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 तथा शासनदेश संख्या-ए-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11-11-2014 की व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगी। शासनादेश के संलग्नक के कालम-7 में अंकित सेटेंज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. को दी जायेगी।

(6) उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2021) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24-03-2020 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से एप्रेजल (Appraisal) एवं तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) स्वीकृति धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। ऑकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित करेंगे।

(10) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(11) कार्य की विशिष्टयॉ मानक व गुणवत्ता आदि सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ का होगा।

(13) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर धनराशि का आहरण निर्माण कार्य हेतु तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही आवश्यक धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय। आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(14) शासनादेश के अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्यों के सापेक्ष प्रस्तावित कार्य को पूर्ण कर लिये जाने पर पारदर्शिता तथा सामान्यजन को पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के दृष्टिगत पूर्ण कार्यों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर जनपदीय अधिकारियों के द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड भी किया जायेगा।

2. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-07- अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-836/दस-2020 दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(बच्चू लाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या:33/2020/1720(1)/46-1-20, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
3. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4. गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित धनराशि/बजट को सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से जनपदों को आवंटित करने का कष्ट करें।
6. संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7. संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
8. संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
9. संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
10. नियोजन अनुभाग-4/ राज्य योजना आयोग-1/2,
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
12. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

शासनादेश संख्या:33/2020/1720/46-1-20-1000(12)/2020, दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 का संलग्नक

जिला योजना वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या 83 (एस.सी.एस.पी. मद सुदृढीकरण) के अन्तर्गत प्रस्तावित सडकों की सड़कवार कार्य योजना का विवरण

क्रं.सं.	जनपद	सं.	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत (लाख रू.)	राज्यांश की धनराशि (लाख रू.)	सेन्टेज की धनराशि (लाख रू.)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित धनराशि (लाख रू)	निर्माण/पुन र्निर्माण का वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सहारनपुर	1	गागलहेडी नागल रोड से खजूरी अकबरपुर मार्ग	1.000	30.849	24.549	2.717	21.832	2005-06
		1	**योग जनपद**	**1.000**	**30.849**	**24.549**	**2.717**	**21.832**	
2	मुजफ्फरनगर	1	ककरौली से दरियापुर मार्ग से गंगदासपुर मार्ग	1.480	46.257	36.810	4.075	32.735	2008-09
		1	**योग जनपद**	**1.480**	**46.257**	**36.810**	**4.075**	**32.735**	
3	शामली	1	हिण्ड कैडी बाबरी मार्ग से महावतपुर कैडी मार्ग तक	1.165	39.946	31.788	3.519	28.269	2008-09
		1	**योग जनपद**	**1.165**	**39.946**	**31.788**	**3.519**	**28.269**	
4	मेरठ	1	किनौनी चीनी मिल गेट से चिरचिटा सम्पर्क मार्ग	1.000	51.600	41.062	4.543	36.519	2012-13
		1	**योग जनपद**	**1.000**	**51.600**	**41.062**	**4.543**	**36.519**	
5	बागपत	1	ग्राम फतेहपुर माजरा-अमीनगर सराय रोड़ से फतेहपुर माजरा होते हुऐ बिलोचपुरा मार्ग द्वितीय भाग।	0.275	10.369	8.251	0.913	7.338	2010-11
		1	**योग जनपद**	**0.275**	**10.369**	**8.251**	**0.913**	**7.338**	
6	बुलन्दशहर	1	स्याना सैदपुर मार्ग से महाब तक द्वितीय भाग।	0.350	13.179	10.487	1.161	9.326	2002-03
		1	**योग जनपद**	**0.350**	**13.179**	**10.487**	**1.161**	**9.326**	
7	बिजनौर	1	चान्दपुर नूरपुर मार्ग से काजीशौरा-रूकनपुर मार्ग अवशेष भाग	1.000	34.372	27.352	3.028	24.324	1997-98
	बिजनौर	2	बुआपुर नत्थू से अजीतपुर दार्स	0.810	26.526	21.109	2.337	18.772	2011-12
		2	**योग जनपद**	**1.810**	**60.898**	**48.461**	**5.365**	**43.096**	
8	बरेली	1	सिधौली से संग्रामपुर	0.700	26.867	21.380	2.367	19.013	2006-07
		1	**योग जनपद**	**0.700**	**26.867**	**21.380**	**2.367**	**19.013**	
9	पीलीभीत	1	पस्तौर कुईया से फिरसा द्वितीय भाग	0.400	16.230	12.915	1.430	11.485	2008-09
		1	**योग जनपद**	**0.400**	**16.230**	**12.915**	**1.430**	**11.485**	
10	शाहजहांपुर	1	पुवायां खुटार रौड करनापुर से जेवा मार्ग भाग-1	0.300	16.480	13.114	1.452	11.662	1989-90
		1	**योग जनपद**	**0.300**	**16.480**	**13.114**	**1.452**	**11.662**	

http://shasanadesh.up.gov.in

11	लखीमपुर-खीरी	1	पलिया खुर्द बडागाँव सम्पर्क मार्ग	0.850	39.602	31.514	3.488	28.026	2009-10
	लखीमपुर-खीरी	2	लखीमपुर मोहम्मदी मार्ग से कुम्भी चीनी मिल चैराहे तक वाया कुम्भी ग्राम प्रथम भाग	0.500	22.486	17.894	1.981	15.913	2010-11
		2	**योग जनपद**	**1.350**	**62.088**	**49.408**	**5.469**	**43.939**	
12	सीतापुर	1	पिपरझला शारदा नहर पुल से केदारखेंडा मार्ग	0.550	26.271	20.906	2.314	18.592	2011-12
		1	**योग जनपद**	**0.550**	**26.271**	**20.906**	**2.314**	**18.592**	
13	हरदोई	1	उधरनापुर से भैलामऊ मार्ग भाग-1	0.365	16.982	13.514	1.496	12.018	2006-07
		1	**योग जनपद**	**0.365**	**16.982**	**13.514**	**1.496**	**12.018**	
14	अयोध्या	1	ददेरा अलावलपुर सम्पर्क मार्ग से अलावलपुर (साधु का पुरवा)	0.410	18.615	14.813	1.640	13.173	2012-13
		1	**योग जनपद**	**0.410**	**18.615**	**14.813**	**1.640**	**13.173**	
15	बलरामपुर	1	चमरबोझिया मार्ग से नचैरी घघरा मार्ग का द्वितीय भाग	0.255	12.781	10.171	1.126	9.045	2008-09
		1	**योग जनपद**	**0.255**	**12.781**	**10.171**	**1.126**	**9.045**	
16	बहराइच	1	गूढा उर्रा से कंचनपुरवा गाँव	0.250	11.510	9.159	1.014	8.145	2010-11
		1	**योग जनपद**	**0.250**	**11.510**	**9.159**	**1.014**	**8.145**	
17	बस्ती	1	गौर बभनान मार्ग से गन्ना समिति होते हुये पैकोलिया शिवाघाट मार्ग तक मरम्मत कार्य द्वितीय भाग	0.230	10.320	8.212	0.909	7.303	2012-13
		1	**योग जनपद**	**0.230**	**10.320**	**8.212**	**0.909**	**7.303**	
		19	**महायोगः-**	**11.890**	**471.242**	**375.000**	**41.510**	**333.490**	

(रूपये तीन करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)

(सुशील कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है